दैनिक कार्य सूची

गुरूवार, दिनांक 21 मार्च, 1991 (फाल्गुन 30, 1912)

समय 10.30 बजे दिन

1. प्रश्नोत्तर

(1) पृथकतः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

(2) श्री शैलेन्द्र प्रधान, सदस्य का सहकारिता मंत्री से पूछा गया अल्प सूचना प्रश्न क्रमांक-1

2. पत्रों का पटल पर रखा जाना

श्री सुन्दरलाल पटवा, मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश लोक आयुक्त एवं उप लोक आयुक्त अधिनियम, 1981 (क्रमांक 37 सन् 1981) की धारा 12 की उपधारा (6) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश लोक आयुक्त एवं उप-लोक आयुक्त का दिनांक 1.4.87 से दिनांक 31.3.88 तक की अवधि का छटवां वार्षिक प्रतिवेदन पटल पर रखेंगे.

3. नियम 138(1) के अधीन ध्यानाकर्षण

(1) श्री मोतीलाल वोरा, सदस्य, रीवा स्थित तिवनी परीक्षा केन्द्र में हायर सेकेण्ड्री के विद्यार्थियों के विरूद्ध नकल के असत्य प्रकरण बनाए जाने की ओर शिक्षा मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) श्री रामलखन शर्मा / श्री जगदम्बा प्रसाद निगम / डॉ. गोविन्द सिंह, सदस्य, रीवा जिले के ग्राम हरदोली में मंदिर से मूर्ति चोरी की घटना की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(3) श्री लालसिंह, राणावत, सदस्य, उज्जैन जिले के नागदा स्थित अनेक फेक्ट्रियों के प्रदूषित जल से बीमारियां फैलने की ओर राज्यमंत्री, आवास एवं पर्यावरण का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(4) श्री पूरनसिंह पलैया, सदस्य, ग्वालियर जिले के ग्राम कल्याणी के हरिजनों की फसल जबरन काटे जाने की घटना की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

4. अनुपस्थिति की अनुज्ञा

निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 121-पामगढ़ से निर्वाचित सदस्य श्री दाऊराम रत्नाकर को विधान सभा के मार्च, 1991 सत्र की दिनांक 11 मार्च से 25 मार्च, 1991 तक सत्र की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुज्ञा.

5. प्रतिवेदन की प्रस्तुति

श्रीमती जयश्री बैनर्जी, सभापति, महिलाओं एवं बालकों के कल्याण संबंधी समिति का तृतीय प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगी.

6. याचिकाओं की प्रस्तुति

(1) श्री जालम सिंह पटेल, सदस्य:

(क) जिला दुर्ग, विकास खंड बालौद के ग्राम गोड़पाल में 2 नलकूप खनन् कराने के संबंध में,

(ख) ग्राम गस्तीटोला का विद्युतीकरण कराने के संबंध में,

(ग) ग्राम भोथली में स्टाप डेम निर्माण कराने के संबंध में,

(घ) ग्राम बरही में प्राथमिक उप स्वास्थ्य केन्द्र खोलने के संबंध में, तथा

(ड) ग्राम अमलीडीह के गोंदली नहर पर पुल निर्माण के संबंध में,

(2) श्री अशोक कुमार चौरसिया, सदस्य, जिला छतरपुर के बमनी-लिधौरा मार्ग का निर्माण पूर्ण कराने के संबंध में,

(3) चौधरी मणिशंकर "सुमन", सदस्य, जिला दमोह, विधान-सभा क्षेत्र पथरिया की बेवस नदी पर पंचम नगर सिंचाई योजना आरंभ कराने के संबंध में,

(4) श्री विश्वम्भरनाथ पाण्डे, सदस्य, भोपाल के हर्षवर्धन नगर में कम्यूनिटी सेंटर भवन का निर्माण कराने के संबंध में,

(5) श्री रामानंद सिंह, सदस्य, जिला सतना के ग्राम मनकहरी में बालक प्राथमिक शाला को माध्यमिक शाला में परिवर्तित किये जाने के संबंध में,

याचिकाएं प्रस्तुत करेंगे.

7. वर्ष 1991-92 के लेखानुदान की मांगों पर मतदान

निर्धारित समय
4 बजे तक

श्री रामहित गुप्त, वित्त मंत्री, निम्नलिखित प्रस्ताव करेंगे:-

"दिनांक 1 अप्रैल, 1991 को प्रारंभ होने वाले वित्तीय वर्ष 1991-92 के एक भाग अर्थात् दिनांक 1 अप्रैल, 1991 से 31 जुलाई, 1991 तक की अवधि के प्राक्कलित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को राज्य की संचित निधि में से कुल दो हजार, दो सौ बहत्तर करोड़, दस लाख तीस हजार रूपये की धनराशि जो पृथकतः वितरित लेखानुदान की मांगों तथा विनियोगों के अनुसूची के स्तंभ 7 में दी गई राशियां स्तंभ दो में निर्दिष्ट सेवाओं से संबंधित मांगों के लिए सम्मिलित है, लेखानुदान के रूप में दी जावे."

8. शासकीय विधि विषयक कार्य

श्री रामहित गुप्त, वित्त मंत्री, मध्यप्रदेश विनियोग लेखानुदान विधेयक, 1991 (क्रमांक 8 सन् 1991) का ×पुरःस्थापन करेंगे तथा प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

विश्वेन्द्र मेहता
सचिव,
मध्यप्रदेश विधानसभा.

भोपाल
दिनांक 20 मार्च, 1991

× लेखानुदान की मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत होने के तुरन्त पश्चात.